



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 25 1994/ आषाढ़ 4, 1916

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1994/ASADHA 4, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा विधि के अस्तर्गत बनाए गए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

**General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)**

विधि, व्याप और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1994

सा.का.नि. 295.—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं प्रस्तावित:—

- संज्ञानां नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संज्ञानां नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1993 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना:—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे श्रेणियाँ, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की बद्धि, आयु-सीमा और अन्य शर्तें:—उक्त पदों पर भर्ती को पत्रिका, आयु-सीमा, श्रेणियाँ और उनके संबंधित अन्य बातें वे होती जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहंत:—वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसा व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्नी ही इन है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवन होने हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the per of survey or for a period of grace where regulation I/14(a3 or I/14(f) applies.

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c), I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until..... subject to the.....Certificate, to which the certificate is attached, remaining valid.

Signed : .....

Place : .....

Date : .....

(Seal or stamp)

[No. SR-11013/4/92-MA]

O. P. MAHEY, Under Secy.

Note :—The Principal rules published in the Gazette of India Part II Section 3(i) dated 4th May, 1968 at pages 967 to 985 vide Government Notification, Ministry of Transport & Shipping No. GSR 814 dated 11th April, 1968 and was subsequently amended by ---

(i) Government notification No. GSR 382, dated 1-3-1978 published in the Gazette of India Part II, Section 3(i) dated 18th March, 1978 at pages 594-597.

(ii) Government notification No. GSR 25 dated 26-12-1988 published in the Gazette of India Part I, Section 3(i) dated 14-1-89 at pages 90-109.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1993

सा.वा.नि. 304—मूल नियमावली के नियम 45 के प्रावधानों के अनुरोध में, राष्ट्रपति एतद्वारा आकाशवाणी (आवासीय क्वार्टर का आबंटन) नियम 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे :—

1. (1) ये नियम आकाशवाणी (आवासीय क्वार्टर का आबंटन) (संशोधित) नियम, 1993 कहलाये जायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये नियम लागू होंगे।

2. एस. अर्ग. 317-XXVI/टी-2, ये आकाशवाणी (आवासीय क्वार्टर का आबंटन) नियम, 1983, में—

(क) उपनियम (0) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, जैसे :—

“(0) “अधिकारी” अर्थात् नियमित विभागीय कलाकार, कलाकार और सिविल निर्माण स्क्व में कार्य कर रहे स्टाफ और “वर्क चार्ज/स्टाफ” सहित आकाशवाणी के स्टाफ का मवस्थ

बशर्ते कि सिविल निर्माण स्क्व में कार्यरत स्टाफ केवल सामान्य पूल से क्वार्टर के आबंटन हेतु पात्र होगा।

(ख) उप-नियम (पी) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, यथा :—

“(पी)(1) अधिकारी द्वारा पेंशन और प्रेच्युट जैसे अंतिम लाभ लिये जाने पर भी प्राथमिकता की तारीख

निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु अधिकारी द्वारा की गई पिछली सेवाओं को भी गिना जाएगा तथा प्राथमिकता की तारीख निर्धारित करने के लिए पिछली कुल सेवा में से सेवा में व्यवधान (ब्रेक) की अवधि घटा दी जाएगी।

(2) स्थान की पात्रता के निर्धारण के लिए अधिकारी के पून. रोजगार के मामले में, जिस पद पर अधिकारी है उसका (नॉर्मल) वेतन और भूतपूर्व सैनिक द्वारा डा की गई रिजर्विस्ट पेंशन ध्यान में रखी जाएगी।”

[एफ.सं. 16/6/92-ए एण्ड जी/बी(डी)]

आई.एल. भाटिया, अवर सचिव

टिप्पणी :—भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के तहत दिनांक 8-9-1984 के भाग-II खंड 3 उप-खंड (i) संख्या जी. एम. अर. 949 द्वारा मुख्य नियम प्रकाशित किए गए, जी.एम.अर. 572 द्वारा संशोधित, दिनांक 25-6-87 को भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3 उप-खंड (i) के प्रकाशित, दिनांक 1-4-1991 को भारत के राजपत्र में भाग-II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एम.अर. 229 प्रकाशित और दिनांक 21-12-1991 को भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एम.अर 687 प्रकाशित।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th October, 1993

G.S.R. 304.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983, namely :—

1. (i) These rules may be called All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Amendment) Rules, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The All India Radio Allotment of Residential Quarters Rules 1983, in S.R. 317-XXVI-T-2.

(a) for sub-rule (c), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(c) “OFFICER” means a member of the staff of the All India Radio including regular Staff Artist/ Artist and staff and work-charged staff working in the Civil Construction Wing ;

Provided that the staff working in the Civil Constructions Wing shall be eligible for allotment of quarters from General Pool only.”

(b) For sub rule (p), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(p)(i) the past service rendered by an officer shall be counted for the purpose of determining the date of priority even if the officer has drawn terminal benefits like pension and gratuity and periods of break in service shall be deducted from the total of the past service for determining the date of priority.

(ii) in the case of re-employment of an officer, the notional pay of the post in which an officer is re-employed and in the case of a reservist pension

drawn by ex-serviceman shall be taken into account for determination of entitlement of accommodation."

[F. No. 16/6/92-A&G/B(D)]  
I. L. BHATIA, Under Secy.

NOTE : Principal rules were published under the notification of the Government of India of the Ministry of

Information & Broadcasting vide No. G.S.R. 949, Part II Section 3 sub-section (i) dated 8-9-1984, amended vide No. G.S.R. 572, published in Gazette of India Part-II Section 3 Sub-section (i) dated 25-6-1987, Notification No. G.S.R. 229 published in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (i) dated 1-4-1991 and Notification No. G.S.R. 697, published in Gazette of India Part-II Section 3 Sub-section (i) dated 21-12-1991.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली 7 जून, 1994

भा. का. नि. -- 305 राष्ट्रपति, राजधानी के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और अन्वेषी मनुसूची संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवा) भर्ती नियम, 1963 को, उन बातों के विषय में अधिसूचना करने हुए, जहाँ ऐसे अधिसूचना से पहले किया गया है या करने का शोध किया गया है केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में कार्यपालक इंजीनियर के पत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात् :-

1 शक्ति नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का शक्ति नाम केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (कार्यपालक इंजीनियर) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संस्था प्रोत्तरण और वेतनमान -- उक्त पद की संस्था, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपावृत्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 शर्तों की पद्धति, आयु सीमा, प्रवृत्ताएं आदि -- उक्त पद पर शर्तों की पद्धति, आयु सीमा, प्रवृत्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरवृत्ता यह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिमकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पत्र पर निर्वाचित का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवृत्त से छूट दे सकेगा।

5 प्रिथिल करने की शक्ति -- जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण है उन लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवृत्त के व्यक्तियों को बाधन आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6 व्याप्ति इन नियमों की कार्य बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवृत्त के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद प्रवृत्त पद	सौधे शर्तों किए जाने वाले व्यक्तियों सेवा में जोड़े गए बर्तों का आवदा के लिए आयु-सीमा	बर्तों का आवदा विहित सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	
कार्यपालक इंजीनियर	17* (समूह) ( 1994) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अनुसूचितव्यय)	3000-100-3500 125-4500	चयन	40वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	नहीं